

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274201
CG-DL-E-06072026-274201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] No. 35]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948
--------------------	---

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

फा. सं. 30/03/2016-इंसोल्वेंसी.— केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के प्रावधानों के अनुसार, श्री नीरज कुमार, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार को उक्त बोर्ड में विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

F. No. 30/03/2016-Insolvency.— In accordance with the provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints Shri Niraj Kumar, Joint Secretary and Legal Adviser as the *ex-officio* member in the Insolvency and Bankruptcy Board of India to represent the Ministry of Law & Justice in the said Board.

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.